

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –मोटे अनाज स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला, रोहतक, भिवानी, सिरसा, हिसार, झज्जर, तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में उन्नत समग्र पर मक्का के प्रदर्शन प्लांट पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 30-07-2022) तक कर सकते हैं।

उन्नत समग्र पर मक्का के प्रदर्शन प्लांट पर ₹ 2400/- एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for NFSM- Coarse Cereal (Maize Demonstrations on improved packages-on hybrid variety) Kharif 2022 (Assistance @ Rs. 2400/- acre.)							
Sr. No.	Distt.	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Panchkula	140	3.36	112	2.69	28	0.67
2	Rohtak	20	0.48	16	0.38	4	0.10
3	Bhiwani	20	0.48	16	0.38	4	0.10
4	Sirsa	60	1.44	48	1.15	12	0.29
5	Hisar	80	1.92	64	1.54	16	0.38
6	Jhajjar	70	1.68	56	1.34	14	0.34
7	Ch.Dadri	50	1.20	40	0.96	10	0.24
	<b>Total</b>	<b>440</b>	<b>10.56</b>	<b>352</b>	<b>8.45</b>	<b>88</b>	<b>2.11</b>

**विशेष दिशा निर्देषः—**

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन under the [link E-Agri Schemes Governance link](#) पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशो के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/ सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेज दी जाएगी। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक](#) के कार्यालय से सम्पर्क करें।

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –मोटे अनाजस्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला, रोहतक, सिरसा हिसार, झज्जर तथा चरखी दादरी (6 जिलों) में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से कम) पर किसानों को अनुदान दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 30–07–2022) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से कम) पर ₹0 3000 / विवंतल सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical and financial target of Distribution of Certified Seed of HYV's of Maize less than 10 year during Kharif-2022 (Assistance @ Rs. 3000/-Qtl)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Panchkula	30	0.90	24	0.72	6	0.18
2	Rohtak	10	0.30	8	0.24	2	0.06
3	Sirsa	15	0.45	12	0.36	3	0.09
4	Hisar	20	0.60	16	0.48	4	0.12
5	Jhajjar	15	0.45	12	0.36	3	0.09
6	Ch.Dadri	10	0.30	8	0.24	2	0.06
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>3.00</b>	<b>80</b>	<b>2.40</b>	<b>20</b>	<b>0.60</b>

#### विशेष दिशा निर्देशः—

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –मोटे अनाजस्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला, रोहतक, सिरसा हिसार, झज्जर तथा चरखी दादरी (6 जिलों) में प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से अधिक) पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 30–07–2022) तक कर सकते हैं।

प्रमाणित बीज व अधिक उपज देने वाली किस्में (10 वर्ष से अधिक) पर ₹ 1500 / विंटल सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical and financial target of Distribution of Certified Seed of HYV's of Maize More than 10 year during Kharif-2022 (Assistance @ Rs. 1500/-Qtl)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Panchkula	15	0.225	12	0.180	3	0.045
2	Rohtak	5	0.075	4	0.060	1	0.015
3	Sirsa	5	0.075	4	0.060	1	0.015
4	Hisar	10	0.150	8	0.120	2	0.030
5	Jhajjar	10	0.150	8	0.120	2	0.030
6	Ch.Dadri	5	0.075	4	0.060	1	0.015
	<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>0.750</b>	<b>40</b>	<b>0.600</b>	<b>10</b>	<b>0.150</b>

#### विशेष दिशा निर्देशः—

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**

## कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –मोटे अनाजस्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला, सिरसा, हिसार तथा झज्जर (4 जिलों )में बीज वितरण में संकर मक्का बीज पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 30–07–2022) तक कर सकते हैं।

बीज वितरण में संकर मक्का बीज पर रु0 10000 / विंटल सामान्य वर्ण / 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical and financial target of Distribution of Maize Hybrid Seed during Kharif-2022 (Assistance @ Rs. 10000/-Qtl)						
Sr. No.	Distt.	Total		General Category		SC Category
		Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakh)	Phy (in Qtl.)	Fin (Rs. in lakh)	Phy (in Qtl.)
1	Panchkula	14	1.40	11	1.10	3
3	Sirsa	5	0.50	4	0.40	1
4	Hisar	5	0.50	4	0.40	1
5	Jhajjar	5	0.50	4	0.40	1
	<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>2.90</b>	<b>23</b>	<b>2.30</b>	<b>6</b>
						<b>0.60</b>

### विशेष दिशा निर्देशः—

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति / 30 प्रतिशत महिला किसान / 33 प्रतिशत लधु एवं सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी / अर्ध सरकारी / सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी / खण्ड कृषि अधिकारी / उपमण्डल कृषि अधिकारी / उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

**कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा**  
**किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – मोटे अनाजस्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों पंचकूला, रोहतक, भिवानी, सिरसा हिसार, झज्जर, तथा चरखी दादरी (7 जिलों) में पौधे एवं मृदा सरक्षण प्रबंधन – सुक्ष्म तत्व पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org/> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन (दिनांक 10–10–2022) कर सकते हैं।

पौधे एवं मृदा सरक्षण प्रबंधन – सुक्ष्म तत्व पर ₹ 200/- एकड़ सामान्य वर्ष /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District wise physical and financial target of distribution of Micronutrient under NFSM-Coarse-Cereals for Kharif-2022 (Assistance @ Rs. 200/- acre)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in acre.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Panchkula	550	1.10	440	0.88	110	0.22
2	Rohtak	400	0.80	320	0.64	80	0.16
3	Sirsa	450	0.90	360	0.72	90	0.18
4	Hisar	475	0.95	380	0.76	95	0.19
5	Jhajjar	450	0.90	360	0.72	90	0.18
6	Ch.Dadri	400	0.80	320	0.64	80	0.16
7	Bhiwani	265	0.53	212	0.42	53	0.11
	<b>Total</b>	<b>2990</b>	<b>5.98</b>	<b>2392</b>	<b>4.78</b>	<b>598</b>	<b>1.20</b>

#### विशेष दिशा निर्देशः—

- एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लधु एवम् सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन <http://agriharyana.org/> under the E-Agri Schemes Governance link पर करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बंधित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।